



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 213 राँची, मंगलवार,

11 अप्रैल, 2023 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संकल्प

20 मार्च, 2023

पत्रांक-01/निदे०-अभि मु०-10/2014-128, नि.रा.--

विषय:- W.P.(S) No.-3284/2010 असलम शादाब बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-24.08.2018 को पारित आदेश के अनुपालन नहीं होने के कारण पुनः दायर अवमाननावाद सं०-689/2019 में पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय निर्गत तार्किक आदेश सं०-184/नि.रा. दिनांक-24.03.2022 द्वारा श्री असलम शादाब, प्रतिलिपिक को वेतनमान-3050-4590 में बढ़ोत्तरी का दावा वेतनमान रू०-4000-6000 में विशेष परिस्थिति में स्वीकार करने के संबंध में ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत श्री असलम शादाब की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर बन्दोबस्त कार्यालय, राँची में दिनांक-**21.06.2005** को प्रतिलिपिक के पद पर वेतनमान रु०-**3050-4590/-** में हुई है। इनकी नियुक्ति के समय शैक्षणिक योग्यता इण्टर पास थी। श्री शादाब द्वारा वर्ष-**2007** में स्नातक उत्तीर्णता प्राप्त किया।

2. वर्ष, **2000** में गठित श्री अफताव आलम की अध्यक्षता में Fitment Committee द्वारा प्रतिलिपिक संवर्ग के संबंध में अनुशंसा किया गया है जो निम्नवत् है:-

" Fitment Committee have recommended the revision of the recruitment rule specify Graduation as the minimum qualification then, the Pay scale would be Rs. 4000-6000 otherwise it would be 3050-4590. "

Fitment Committee feels that since an equivalent post in the center is not found, the normal replacement scale should be provided, Therefore this committee recommends the scale Rs. 3200-4900/- till enhancement of minimum qualification is done.

3. वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 2714/वि० दिनांक-21.09.2007 द्वारा Fitment Committee की वेतनमान 3200-4900/- करने संबंधी अनुशंसाओं को लागू किया गया। परन्तु Remunerative Copyists (recruitment rule specify Graduation as the minimum qualification then, the Pay scale would be Rs. 4000-6000) वेतनमान में बढ़ोत्तरी की अनुशंसा को लागू नहीं किया गया है।

4. उक्त के आलोक में श्री शादाब द्वारा माननीय न्यायालय में डब्लू०पी०(एस०) संख्या-3733/2007 में याचिका दायर किया गया। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दि०-06.03.08 को पारित आदेश के अनुपालन में वादी श्री असलम शादाब प्रतिलिपिक, बन्दोबस्त कार्यालय, राँची (वेतनमान में बढ़ोत्तरी रु०-3200-4900 से 4000-6000/-) के दावा विधि सम्मत नहीं पाया गया, तदनुसार तत्कालीन सचिव के मुखर आदेश जापांक-164/सर्वे, दिनांक-16.05.2008 द्वारा श्री शादाब के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया।

5. विभागीय मुखर आदेश जापांक-164/सर्वे, दिनांक-16.05.2008 के आलोक में श्री शादाब द्वारा पुनः माननीय न्यायालय में W.P.(S) No. 3284/2010 असलम शादाब बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिका दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा W.P.(S) No.-3284/2010 असलम शादाब बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक-24.08.2018 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका Operating Part निम्नवत् है:-

Para 11. So far minimum qualification for the post in question at the relevant time is concerned, the petitioner has come up with a case that copyists working in other similar offices having qualification of matriculation are getting pay-scale of

Rs. 4000-6000/-, which has not been well denied by the respondents. Even otherwise also, the petitioner acquired the qualification of Graduation in the year 2006; hence as per the recommendation made by Hon'ble Justice Aftab Alam Committee (Fitment Committee), the petitioner ought to have been given the scale of Rs. 4000-6000/- on acquisition of minimum qualification of Graduation.

Para 12. As a logical sequitur of discussions made in foregoing paragraphs, the impugned order dated 16.05.2008 is quashed and set aside and the respondent no.2 is directed to take appropriate decision taking into consideration the observation made in the preceding paragraphs within a period of twelve weeks from the date of receipt/production of copy of this order.

6. दिनांक-24.08.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर माननीय न्यायालय में दिनांक-05.12.2019 को Civil Review No. 126/2019 विभाग द्वारा दायर किया गया । इस बीच श्री शादाब द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अवमाननावाद (Cont. Case (civil) No.-689/2019 दायर किया गया।

7. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-03.12.2021 को उक्त अवमाननावाद में न्यायादेश पारित किया गया, जिसका Operating Part निम्नवत् है:- "By way of last indulgence, 4 weeks' time is allowed to the opposite parties to show compliance of the order under offence failing which the opposite parties to show compliance of the order under offence failing which the opposite party no.2 or his successor in office shall have to appear in person on the next date."

उक्त न्यायादेश के आलोक में माननीय न्यायालय में कारण-पृच्छा दिनांक-22.01.22 को दायर किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-04.02.2022 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका observation निम्नवत् है-

"Matter be listed on 04-03-2022 for that purpose. If order has not been complied before the next date, opposite party no.2 or his successor in office shall remain present on the next date to explain, if the court is functioning in on-line mode, he shall be present from the office of the State counsel."

8. उक्त न्यायादेश के observation के आलोक में विभाग द्वारा समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त कारण-पृच्छा दायर करने के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया जो निम्नवत् है :- "The order dated 24-08-2018 in WPS No. 3284/2010 the order may be complied with, subject to the decision in Civil Review No.126/2019." A

विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में recruitment rule specify Graduation as the minimum qualification नहीं रहने के कारण श्री शादाब के दावा को अस्वीकृत

करने संबंधी विभागीय तार्किक आदेश सं0-128/नि.रा. दिनांक-03.03.2022 पारित करते हुए माननीय न्यायालय में दिनांक-04.03.22 को कारण-पृच्छा दायर किया गया ।

9. पुनः माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-11.03.2022 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका Operating Part निम्नवत् है:-

" As prayed for, list this case on 01.04.2022. If the supplementary show cause showing proper compliance of the order is not filed by the next date, the Court may be constrained to initiate proceedings for contempt."

10. फिटमेंट अपीलीय समिति की अनुशंसा में कही यह उल्लेख नहीं है कि नियुक्ति के पश्चात् योग्यता में बढ़ोत्तरी होने पर स्वतः वेतनमान में बढ़ोत्तरी होगा । समिति की अनुशंसा की कंडिका-38.21 में स्पष्ट है कि जबतक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में बढ़ोत्तरी नहीं की जाती है, तबतक प्रतिलिपिक के वेतनमान 3200-3900 रहेगा । वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-2714/वि0 दिनांक-21.09.2007 द्वारा प्रतिलिपिक के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में बढ़ोत्तरी (till enhancement of minimum qualification is done), तब तक के लिए वेतनमान 3200-4900 लागू किया गया है ।

अतएव W.P.(S) No. 3284/2010 में दिनांक-24.08.2018 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के कंडिका-11 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई Observation एवं कंडिका-12 में दिये गये आदेश तथा **Cont. Case (C)No.-689 /2019** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-11.03.2022 को पारित न्यायादेश को ध्यान में रखते हुए विभागीय तत्कालीन अपर मुख्य सचिव द्वारा तार्किक आदेश की कंडिका-13 में श्री शादाब के मामले में वेतनमान-3050-4590 को बढ़ाते हुए वेतनमान 4000-6000 के दावा को स्वीकृत किया गया है ।

11. उक्त अवमाननावाद Cont. Case (Civil)No.-689/2019, Aslam Shadabs vers State of Jharkhand & ors मामले में दिनांक-02.05.2022 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित न्यायादेश निम्नवत् है:- "Learned counsel for the opposite party State submits that a supplementary show sause has been filed on 30.03.2022 wherein revised order has been passed by the Additional Chief Secretary, Revenue, Registration and Land Reforms Department, Government of Jharkhand bearing letter no. 184 dated 24.03.2022 has been enclosed (Annexure-2). He submits that the order under offence has been complied with and the scale of Rs.4000-6000 has been fixed in place of Rs.3050-4590. It is submitted that the continuous reading of the reasoned order would show that petitioner would be entitled to the revised scale form the period from which he has enhanced his minumum qualification from Intermediate to Graduation in line with the recommendation at Para 38.21 of the Fitment Committee report of 2000. It is further submitted that the reasoned order has been passed subject to the outcome of the Civil Review No. 126 of 2019.

Learned counsel for the petitioner submits that the admissible arrears be directed to be paid from the due date in view of the revision in the pay scale keeping into regard operative part of the order under offence.

Considered the submission of learned counsel for the parties and the last show cause filed on 30.03.2022, which encloses the revised reasoned order dated 24.03.2022 by which the revised pay scale of Rs. 4000-6000 has been granted to the petitioner in place of previous pay scale Rs. 3050-4590. This takes care of the grievances of the petitioner in compliance of the order under offence. The admissible dues under revised pay would be released in favour of the petitioner without any delay preferably within a period of 6 weeks."

12. बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची के आदेश ज़ापांक-55-1 दिनांक-27.06.22 द्वारा Cont. Case (C) No.-689/2019 असलम शादाब बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 02.05.2022 को पारित न्यायादेश एवं विभागीय तार्किक आदेश सं0-184/नि.रा. दिनांक-24.03.2022 के आलोक में श्री असलम शादाब, प्रतिलिपिक, बन्दोबस्त कार्यालय, राँची को नियुक्ति की तिथि दिनांक- 21.06.2005 के प्रभाव से वेतनमान 3050-4590 के स्थान पर संशोधित वेतनमान 4000-6000 रुपये में स्वीकृति प्रदान की गई ।

13. बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची के उक्त आदेश ज़ापांक-55-1 दिनांक-27.06.22 के आलोक में श्री असलम शादाब, प्रतिलिपिक, बन्दोबस्त कार्यालय, राँची को नियुक्ति की तिथि दिनांक- 21.06.2005 के प्रभाव से वेतनमान 3050-4590 के स्थान पर संशोधित वेतनमान 4000-6000 रुपये में स्वीकृति प्रदान की गई के संदर्भ में नियुक्ति तिथि से वेतनमान का संशोधन किया जाना न्यायोचित नहीं मानते हुए इन्हें वेतनमान की बढ़ोत्तरी किस तिथि से प्रभावी मानी जायगी के विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग का मंतव्य प्राप्त की गयी ।

14. उक्त विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा श्री शादाब के मामले में विस्तृत समीक्षात्मक टिप्पणी में मंतव्य दिया गया है जो निम्नवत् है:-

“ फिटमेंट अपीलीय समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में राजस्व विभाग के अन्तर्गत Rumunaritive Copyist के पद हेतु परा-38.21 में की गई कार्यकारी अंश के आलोक में वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं अन्य अर्हताओं को दृष्टिपथ रखते हुए यदि प्रशासी विभाग सहमत है तो वित्त Rumunaritive Copyist के पद हेतु Recruitment Rule में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने पर विचार किए जाने का परामर्श वित्त विभाग द्वारा दिया गया था ।

परन्तु वित्त विभागीय संकल्प सं०-2714/वि० दिनांक-21.09.2007 के द्वारा लिए गये निर्णय के क्रमांक-51 के कॉलम-5 में Rumunaritive Copyist के पद हेतु दिनांक- 01.01.1996 के प्रभाव से स्वीकृत संशोधित वेतनमान रू०-3200-4900 के संबंध में कॉलम-6 में अंकित शर्त यथा, "Till enchancement of minimum education qualification is done" के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा Recruitment Rule में संशोधन नहीं किया गया है ।

फिटमेंट अपीलीय समिति की अनुशंसा में नियुक्ति के पश्चात् योग्यता में बढ़ोत्तरी होने पर वेतनमान में बढ़ोत्तरी होने का उल्लेख नहीं है । तदनुसार प्रासंगिक विषय में Recruitment Rule में

अपेक्षित संशोधन नहीं होने के कारण संशोधित वेतनमान में बढ़ोत्तरी किस तिथि से प्रभावी मानी जाय, इस संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा मंतव्य नहीं दिया जा सकता है । ”

15. पुनः विशेष स्थिति में श्री शादाब को स्नातक उत्तीर्णता के उपरांत सेवापुस्त में दर्ज करने की तिथि 13.11.2007 अथवा तार्किक आदेश निर्गत करने की तिथि 14.03.2022 से वेतनमान 4000-6000 स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया । वित्त विभाग द्वारा प्रतिलिपिक के नियुक्ति नियमावली में संशोधन करने का परामर्श दिया गया ।

16. वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में वस्तुस्थिति स्पष्ट किया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1514/रा0 दिनांक-16.07.1987 द्वारा प्रतिलिपिक पद की अर्हता प्रवेशिकोत्तीर्ण किया गया है । अभी भी इस पद का न्यूनतम अर्हता प्रवेशिकोत्तीर्ण ही है । कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-1749, दिनांक-27.03.2010 द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक/लिपिक- सह-टंकक/टंकक एवं अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2010 गठित की गयी है । इस नियमावली अन्तर्गत विभागीय पत्रांक-290/नि.रा. दिनांक-06.06.2018 द्वारा प्रतिलिपिक पद को क्षेत्रीय लिपिकीय सेवा के अन्तर्गत समाहित किया गया है । इसकी शैक्षणिक योग्यता इंटरमिडियट/+2 बारहवीं उत्तीर्ण है ।

प्रतिलिपिक के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं होनी है । एक व्यक्ति के लिए Recruitment Rules में संशोधन करना समाचित प्रतीत नहीं होता है । Recruitment Rules में संशोधन करने पर अन्य कार्यालय में कार्यरत अन्य प्रतिलिपिक को भी इसका लाभ देना पड़ेगा, जिस पर सरकार का अतिरिक्त भार पड़ेगा । अतएव अवमाननावाद संख्या-689/2019 मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-02.05.2022 को पारित न्यायादेश का अनुपालन हेतु श्री असलम शादाब, प्रतिलिपिक, बन्दोबस्त कार्यालय, राँची के वेतनमान में बढ़ोत्तरी किस तिथि से प्रभावी मानी जायेगी के संदर्भ में पुनः वित्त विभाग की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त होने के उपरान्त संलेख के माध्यम से मंत्रिपरिषद का स्वीकृति प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जायगी पर वित्त विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया।

17. वित्त विभाग द्वारा पृच्छा करते हुए परामर्श दिया गया कि “प्रतिलिपिक का पद किस श्रेणी में माना जाय । इस पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का पमरार्श प्राप्त किया जाय । ”

18. वित्त विभाग द्वारा पृच्छा एवं परामर्श के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का पमरार्श प्राप्त किया गया, जो निम्नवत् है:-

कंडिका-4 एवं 5- “ विदित हो कि प्रतिलिपिक के पद से संबंधित कोई जानकारी इस स्तर पर संधारित नहीं है । प्रतिलिपिक के पद से संबंधित सेवाशर्त/नियमावली नहीं है । प्रशासी विभाग के पत्रांक-920 दिनांक-06.06.2018 के क्रमांक-1 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-1749 दिनांक-27.03.2010 द्वारा गठित क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक/लिपिक- सह-टंकक/टंकक एवं अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2010 के अन्तर्गत प्रतिलिपिक को क्षेत्रीय लिपिकीय सेवा के अन्तर्गत समाहित किए जाने का उल्लेख है ।

प्रशासी विभाग के द्वारा तार्किक आदेश संख्या-184/नि.रा. दिनांक-24.03.2022 द्वारा श्री असलम शादाब का वेतनमान 4000-6000 स्वीकृत किया जा चुका है, जिसका उल्लेख अवमाननावाद संख्या-

689/2019 में दिनांक-02.05.2022 को पारित आदेश में किया गया है। साथ ही उक्त आदेश में श्री असलम शादाब को वेतनमान 4000-6000 की देयता की तिथि के संबंध में उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में यह पद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक एवं अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2010 के अन्तर्गत प्रतिलिपिक को क्षेत्रीय लिपिकीय सेवा के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वेतनमान 4000-6000 (प्रतिस्थानी 5200-20200, ग्रेड पे 2400/-) का पद उक्त नियमावली के अधीन उच्चवर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति का पद है। तथापि विषयाधीन अवमाननावाद में पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का परामर्श दिया जाता है।”

19. उपर वर्णित कंडिकाओं में वस्तुस्थिति के आलोक में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No.-3284/2010 में दिनांक-24.08.2018 को पारित न्यायादेश एवं अवमाननावाद Cont. Case (Civil) No.-689/2019 Aslam Shadabs vers State of Jharkhand & Ors में दिनांक-02.05.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु विभागीय तार्किक आदेश संख्या-184/नि.रा. दिनांक-24.03.2022 के आलोक में श्री असलम शादाब, प्रतिलिपिक को स्नातक उत्तीर्णता के उपरांत सेवापुस्त में दर्ज करने की तिथि-13.11.2007 के प्रभाव से वेतनमान 4000-6000 में वेतन बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर विशेष स्थिति में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अपेक्षित था।

20. अतएव माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No.-3284/2010 में दिनांक-24.08.2018 को पारित न्यायादेश एवं अवमाननावाद Cont. Case (Civil) No.-689/2019 Aslam Shadabs vers State of Jharkhand & Ors में दिनांक-02.05.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु विभागीय तार्किक आदेश संख्या-184/नि.रा. दिनांक-24.03.2022 के आलोक में श्री असलम शादाब, प्रतिलिपिक को स्नातक उत्तीर्णता के उपरांत सेवापुस्त में दर्ज करने की तिथि-13.11.2007 के प्रभाव से विशेष स्थिति में वेतनमान 4000-6000 में वेतन बढ़ोत्तरी किया जाता है।

21. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति विभागीय संलेख जापांक-100/नि.रा. दिनांक-02.03.2023 के क्रम में दिनांक-15.03.2023 की बैठक में मद संख्या-19 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सरकार के प्रधान सचिव।
